## 2. पेयजल संकट प्रबंधन की पूर्व तैयारियाँ

गंगा के दक्षिण के 17 जिलों में प्रायः मानसून की अनियमित वर्षा होती है। खासकर मगध प्रमंडल में प्रायः मॉनसून के अनियमित आगमन की सूचना रहती है। ये 17 जिले सुखाड़ प्रवण जिले माने जाते हैं। परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि राज्य के शेष जिलों में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं होती हो। हाल में वर्ष 2009–10 में राज्य के 26 जिलों को सुखाड़ग्रस्त (प्राकृतिक आपदाग्रस्त) घोषित किया गया था। वर्ष 2010–2011 में राज्य के सभी जिलों को सुखाड़ग्रस्त (प्राकृतिक आपदाग्रस्त) घोषित किया गया। अतएव यह आवष्यक है कि राज्य के सभी जिलों में पेयजल संकट की पहचान तथा उससे निपटने के लिए पूर्व तैयारियाँ कर ली जाए। ऐसा होने से संकट आने की दषा में प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित रिस्पॉस एवं राहत कार्यों मे सहूलियत होगी तथा संकट से प्रभावित व्यक्तियों एवं पशुओं की कठिनाइयों को कम किया जा सकेगा। अतएव पेयजल संकट से निपटने के लिए पूर्व तैयारियों के क्रम में निम्न कार्रवाईयां की जायेंगी :

### पेयजल संकट की पहचान

**2.1** लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा लघु जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों, विषषकर दक्षिण बिहार के 17 जिलों, में विभागीय मापदण्ड के अनुसार भूजल स्तर की माप समय–समय पर की जाएगी। यदि यह ज्ञात होता है कि भू–जल का सामान्य स्तर गत वर्ष की तुलना में नीचे जा रहा हो, चापाकलों से पानी आहरित करने में दिक्कत आ रहो हो अथवा चापाकल बेकार हो रहे हा एवं कुआँ–आहर–तालाब सूख रहे हो, तो उक्त विभाग संबंधित जिला पदाधिकारियों तथा आपदा प्रबंधन विभाग को ससमय सूचित करेंगे। इन विभागों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे यथानुसार भू–जल स्तर का सतत् अनुश्रवण करेगे ताकि पेयजल संकट से निपटने के लिए आवष्यक कार्रवाइयाँ समय पर सुनिष्चित की जा सक। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पेयजल संकट की सूचना प्राप्त होते ही उसे मुख्य सचिव एवं यथानुसार आपदा प्रबंधन समूह के अभिज्ञान में लाया जायेगा ताकि

संकट से निपटने के लिए ससमय आवष्यक तैयारियाँ की जा सकें। आपदा प्रबंधन समूह यथानुसार जल संकट प्रबंधन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग को सुपरिभाषित उत्तरदायित्व सौंप सकेगा।

## आकस्मिक योजना का सूत्रण

**2.2** पेय जल संकट की संभावना नजर आते ही संबंधित जिलों में मानव तथा पशुओं को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर आकस्मिक योजना का सूत्रण किया जायेगा। आकस्मिक योजना के सूत्रण की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियताओं तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों की होगी जो विभागीय अनुदेषों एवं जिला पदाधिकारियों के दिषा निर्देष में आकस्मिक योजना तैयार करेंगे। इस कार्य में लघु जल संसाधन विभाग तथा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा। आकस्मिक योजना में, अन्य बातों के अलावा, निम्न तत्वों का समावेष रहेगा :

- पारंपरिक जल स्त्रोतों की पहचान एवं आवष्यकतानुसार उनकी सफाई/ गहरीकरण की योजना। पारंपरिक जल स्त्रोतों से अभिप्रेत है, वे जल स्त्रोत जो मानव एवं पशुओं की प्यास बुझाने के काम आते हैं, जैसे कुआँ, चुआँ, तालाब, आहर, झील इत्यादि।

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अथवा अन्य विभागों/निकायों द्वारा गाड़े गये चापाकलों की स्थिति का भौतिक सत्यापन तथा अकार्यरत चापाकलों की विषेष/ साधारण मरम्मति की योजना।

- नए चापाकलों के गाड़ने की चालू एवं आकस्मिक योजना।

- लघु जल संसाधन विभाग के नलकूपों की स्थिति का भौतिक सत्यापन एवं यांत्रिक दोष/ विद्युत दोष के कारण बन्द पड़े नलकूपों को कार्यरत करने की योजना। इस योजना का सूत्रण संयुक्त रूप से लघु जल संसाधन विभाग तथा

बिहार राज्य विद्युत पर्षद के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा अपने विभागीय अनुदेषों के अधीन किया जाएगा। परंतु यह योजना भी जिला आकस्मिक योजना के अविभाज्य अंग के रूप में रहेगी।

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर निकायों की जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति का भौतिक सत्यापन एवं यांत्रिक/ विद्युत दोषों के त्वरित निराकरण की योजना।

- उन क्षेत्रों की पहचान जहाँ पेयजल संकट है अथवा जहाँ पेयजल संकट होने की संभावना है।

- पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में आवष्यक होने पर टैंकरों से जलापूर्ति की जाएगी। अतएव जलापूर्ति करने हेतु जल स्त्रोतों एवं रास्तों की पहचान की जाएगी। जल स्रोतों के रूप में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जलापूर्ति संयंत्रों एवं लघु जल संसाधन विभाग के नलकूपों की पहचान की जाएगी। ऐसे जल स्त्रोतों की पहचान की जायगी जहाँ से पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों की दूरी न्यूनतम हो।

- आवष्यक होने पर निजी नलकूपों से भी पेय जलापूर्त्ति की जाएगी।

- पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों द्वारा जलापूर्ति करने हेतु रूट चार्ट।

- जलापूर्ति हेतु टैंकरों तथा ट्रैक्टरों की आवष्यकता का आकलन एवं व्यवस्था। इस हेतु नगर निकाय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण या अन्य विभाग के टैंकरों का उपयोग किया जाएगा। अधिक टैंकरों की जरूरत पड़ने पर यथानुसार भाड़े पर टैंकरों की व्यवस्था की जा सकेगी। इस हेतु दर का निर्धारण जिला पदाधिकारी द्वारा पूर्व में ही कर लिया जाएगा। आवष्यक हाने पर विभाग द्वारा दर निर्धारण किया जा सकेगा।

- अगर टैंकरों की कमी हो तो सेन्टैक्स जैसी टंकियों के जरिये जलापूर्ति की व्यवस्था की जा सकेगी।

- ट्रैक्टर के साथ–साथ आवष्यकतानुसार बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, टायरगाड़ी इत्यादि का उपयोग भी टैंकरों/ टंकियों के माध्यम से जल पहुँचाने के कार्य में किया जा सकता है। अतएव स्थानीय संसाधनों की पहचान कर लेनी होगी।

- बिजली की अनुपलब्धता की स्थिति में जलापूर्ति संयंत्रों एवं नलकूपों से जल की लिफ्टींग हेतु डी0जी0 सेट की व्यवस्था। आवष्यकतानुसार इसके भाड़े का निर्धारण।

- प्रखंड स्तर पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नियंत्रणाधीन गैंगमैन की टीमों का गठन तथा टीमों के कार्य क्षेत्रों का निर्धारण। स्थायी गैंगमैन की कमी की स्थिति में संविदा/ आउटसोर्सिंग के आधार पर गैंगमैनों की व्यवस्था।

- आवष्यकतानुसार वाहनों की व्यवस्था ताकि पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में जलापूर्ति के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जा सके।

- पशु षिविरों के लिए उचित स्थलों की पहचान। इस बात का विषेष ध्यान दिया जायगा कि पषु षिविर यथा संभव जल स्त्रोतों के पास हो।

- नगरीय क्षेत्रो के लिए नगर विकास विभाग के अनुदेषों के अनुसार पेय जलापूर्ति की आकस्मिक योजना का सूत्रण किया जाएगा। यह योजना भी जिला पदाधिकारी के दिषा निर्देष में नगर निकायों के आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी।

## 2.3 अन्य संबंधित विभागों द्वारा पूर्व तैयारियॉ

2.3.1 **<u>लघु जल संसाधन विभागः</u>** यह विभाग पेय जल संकट की सूचना प्राप्त होते ही अपने राज्य एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सक्रिय करेगा। साथ ही भूजल रिचार्ज की विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन एवं नलकूपों की स्थिति की सघन एवं नियमित समीक्षा प्रारंभ करेगा। विभाग का दायित्व होगा कि वह अधिकाधिक नलकूपों को कार्यरत बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए।

2.3.2 **<u>पशु एवं मत्स्य संसाधन विभागः</u>** यह विभाग पशुओं के समक्ष उत्पन्न होने वाले पेय जल एवं चारा संकट की सतत निगरानी करेगा। पेय जल एवं चारा संकट की सूचना मिलते ही यह अपने राज्य एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सक्रिय करेगा। साथ ही पशु षिविरों हेतु आकस्मिक योजना सूत्रण एवं कार्यान्वयन हेतु यह विभाग राज्य स्तर पर नोडल विभाग होगा। आकस्मिक योजना में निम्नांकित बिन्दु अवष्य शामिल किए जाऐंगेः

- पशु षिविरों हेतु स्थल चयन(स्थल ऐसी जगह होने चाहिए जहाँ जल की पर्याप्त व्यवस्था असानी से हो सके। जैसे– लघु जल संसाधन विभाग के चालू नलकूप के समीप का स्थल।
- पशुओं को पशु षिविरों में पहचाने की व्यवस्था।
- पशु षिविर के अन्तर्गत अस्थायी शेड का निर्माण।
- पीने का पानी एवं नाद की व्यवस्था।
- पशु चारा की व्यवस्था।
- बीमार पशु के इलाज के लिए दवा की व्यवस्था।
- पशुपालकों एवं विभागीय कर्मचारियों को प्रषिक्षण की व्यवस्था।
- मृत पशुओं के निस्तारण की व्यवस्था।

2.3.3 **बिहार राज्य विद्युत पर्षदः** जलापूर्ति संयंत्रों एवं नलकूपों को विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत दोषों के त्वरित निवारण हेतु सभी आवष्यक कदम ऊर्जा विभाग/ बिहार राज्य विद्युत पर्षद द्वारा उठाए जाएंगे। इसके लिए पर्षद द्वारा संबंधित विभागों से समन्वय कर आकस्मिक योजना का सूत्रण एवं कार्यान्वयन किया जाएगा।

2.3.4 **नगर विकास विभागः** यह विभाग नगर निकायों में पेयजल संकट प्रबंधन हेतु आकस्मिक योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन के लिए सभी आवष्यक कदम उठाएगा। साथ ही पेय जल संकट की आहट मिलते ही संबंधित नगर निकायों को विभाग द्वारा सक्रिय कर दिया जाएगा।

## जिला टास्क फोर्स का गठन

**2.4** जिला स्तर पर जिला टास्क फोर्स का गठन जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा। जिला टास्क फोर्स द्वारा आकस्मिक योजना के कार्यान्वयन का सघन अनुश्रवण एवं समीक्षा की जायेगी। टास्क फोर्स में अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, तथा लघु जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जिला स्तरीय पदाधिकारी सदस्य रहेंगे। यथानुसार उक्त टास्क फोर्स में संबंधित नगर निकायों के आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी को शामिल किया जायेगा।

## जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी

**2.5** जिला स्तर, अनुमंडल स्तर एवं प्रखण्ड स्तर पर जिला प्रषासन के किसी पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी द्वारा नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा जो पेय जल संकट प्रबंधन के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय का कार्य करेंगे। इसके अलावा टास्क फोर्स में शामिल सभी विभाग जिला स्तर पर विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे जो अपने–अपने विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली आकस्मिक योजनाओं के लिए समन्वयक का कार्य करेंगे।

## जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना

**2.6** जिला स्तर पर जल संकट की सतत् निगरानी की जाएगी तथा जल संकट की आहट मिलते ही जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। जिला नियंत्रण कक्ष की दूरभाष/फैक्स संख्या की जानकारी सचार माध्यमों से आम जन को दी जाएगी ताकि जनसाधारण द्वारा जल संकट की सूचना प्रषासन को दी जा सके तथा प्रभावी कदम उठाया जा सके।

## राज्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना

**2.7** राज्य स्तर पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मानव पेयजल प्रबंधन की आकस्मिक योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन का मुख्य नोडल विभाग होगा तथा राज्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगा। राज्य नियंत्रण कक्ष की दूरभाष/ फैक्स संख्या की जानकारी संचार माध्यमों से आम जन को दी जाएगी। यह नियंत्रण कक्ष आम जन तथा अन्य स्त्रोंतों से पेय जल संकट के संबंध में प्राप्त षिकायतों/ सूचनाओं पर विभाग के स्तर पर उचित कार्रवाई का उत्तरदायी होगा। साथ ही पेय जल संकट से निबटने हेतु की गयी कार्रवाईयो से आम जन एवं मीडिया को भी समय–समय पर अवगत करायेगा। जल संकट गहराने की दषा में आपदा प्रबंधन विभाग में गठित आपात्कालीन संचालन केंद्र को सक्रिय कर दिया जाएगाा। आपात्कालीन संचालन केंद्र सभी संबंधित जिलों एवं विभागा के साथ समन्वय का कार्य करेगा।

## पेय जल संकट प्रबंधन हेतु निधि की व्यवस्था

**2.8** संबंधित विभाग यथा संभव अपने विभागीय बजट से पेयजल संकट प्रबंधन हेतु निधि की व्यवस्था करेंगे। यथानुसार राज्य आपदा रिस्पांस कोष के मानदर के अनुसार विभागों/जिलों को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त कर आवष्यक निधि उपलब्ध करायी जाएगी। राज्य आपदा रिस्पांस कोष द्वारा निर्धारित मानदर अनुलग्नक III पर संलग्न है।

**आकस्मिक योजना के क्रियान्वयन हेतु सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय प्रक्रियाओं का शिथिलीकरण**

**2.9** यदि आकस्मिक योजना के त्वरित कार्यान्वयन में सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रक्रियाओं के षिथिलीकरण की आवष्यकता हो तो संबंधित विभाग पूर्ण औचित्य दर्षाते हुए प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को प्रेषित करेंगे। उक्त प्रस्तावों पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 50 के अंतर्गत निर्णय लिया जाएगा।